राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प. 11(27)मं.मं./2018 जयपुर, दिनांक 11/5/2022

सूचना

माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निदेशानुसार जिला प्रभारी मंत्रिगण तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा द्वारा राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में दिनांक 13.05.2022 को अपने प्रभार वाले जिले में समीक्षा बैठक आयोजित करने के उपरान्त प्रेस वार्ता कर योजनाओं का विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाना है।

अतः फ्लैगशिप योजनाओं की सूची संलग्न कर उपरोक्तानुसार शुक्रवार, दिनांक 13.05.2022 को समीक्षा बैठक व प्रेस वार्ता आयोजित करने हेतु अनुरोध है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण तथा सरकारी उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु मा0 मंत्रिगण/जिला प्रभारी मंत्रिगण से अनुरोध करावें।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि जिला प्रभारी मा0 मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण से सम्पर्क एवं समन्वय कर, कार्यक्रमों की व्यवस्था एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव

राजस्थान सरकार
आयोजना (परीवीक्षण) विभाग

कमांकःप.5(9)आयो/ग्रुप-3/2019 जयपुर दिनांकः 11.05.2022

आज्ञा

समाज के कमजोर वर्गो के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्धेश्य से इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा 21.09.2021 के अतिक्रमण में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों को स्टेट फ्लेगशिप कार्यक्रम घोषित करने का निर्णय लिया गया हैः-

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्यक्रम
1.	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1. शुद्ध के लिये युद्ध 2. निरोगी राजस्थान 3. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 4. मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना 5. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 6. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना
2.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	7. 1 रुपये किलो गेहूँ
3.	स्कूल शिक्षा	8. महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल
4.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	9. मुख्यमंत्री कन्यादान /हथलेवा योजना 10. सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ 11. मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना 12. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 13. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 14. पालनहार योजना
5.	कृषि विभाग	15. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना, 2019
6.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग	16. मुख्यमंत्री स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम 17. MSME Act – Self Certification
7.	उद्योग विभाग	18. Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) 2019
8.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	19. जन-सूचना पोर्टल
9.	आयोजना विभाग	20. जन आधार योजना
10.	कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग	21. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना
11.	उच्च शिक्षा विभाग	22. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 23. देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना
12.	स्वायत्त शासन विभाग	24. इंदिरा रसोई योजना 25. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना
13.	वन विभाग	26. घर-घर औषधि योजना
14.	ऊर्जा विभाग	27. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
15.	महिला एवं बाल विकास विभाग	28. इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

उपरोक्त कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाले विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वे इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गहन मोनीटरिंग करें तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना संलग्न प्रपत्र में तैयार कर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय तथा आयोजना विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, राजस्थान।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. संबंधित विभागाध्यक्ष।
8. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना/आयोजना वित्त/जनशक्ति।
10. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, आयोजना विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव, परीवीक्षण